**सुखाचार अधिकारों के अतिलंघन से सम्बन्धित मामला एक व्यादेश में लिखित कथन**

न्यायालय

............... न्यायालय

लिखित कथन

इन

वाद सं..................... सन् २०२१

(पैतृकता एवम् पता) ........ वादी

बनाम

(पैतृकता एवम् पता) ......... प्रतिवादी

प्रतिवादी सं. 1 का लिखित कथन :

श्रीमान्

ऊपर नामित प्रतिवादी सं 1 निम्नलिखित रूप में अतिसादर पूर्वक निवेदन करता है

वादपत्र का पैरानुक्रम उत्तर :

1. वादपत्र का पैरा 1, जैसे कहा गया, वैसे नहीं स्वीकृत किया जाता है। वादी को इस पैरा में उसके द्वारा अभिकथित तथ्यों के कठोर सबूत को प्रस्तुत करना है।
2. वाद पत्र के पैरा सं 2 को स्वीकृत नहीं किया जाता है।
3. वाद पत्र के पैरा सं 3 को वैसे नहीं स्वीकृत किया जाता है जैसे कथन किया गया। इसका इस प्रकार प्रत्याख्यान नहीं किया जाता है कि प्रतिवादी ने पुराने बैठक के स्थान में नये बैठक का सृजन करवा लिया है लेकिन उसके भवन का शेष रहने वाला भाग पुराना है और अभी तक वैसे ही बना रहा। सभी प्रतिकूल अभिकथन गलत है और उनका प्रत्याख्यान किया जाता है।
4. पैरा 4 का वादपत्र के पैरा सं 4 आत्यंतिक रूप से भी गलत है और उसका प्रत्याख्यान किया जाता है। जहाँ तक जंगले दरवाजा एवम् रोशनदानों का सम्बन्ध है और वादी ने उसे ही लगवाया और 1/2 महीने के अन्दर संरचना करवाया/प्रतिवादी ने वादी से वैसा न करने का अनुरोध किया लेकिन उसने प्रतिवादी के अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया और कथित चीजों को बलात् लगवाया। "तवादी सुसभ्य अर्थों में एक व्यक्ति है और वह शान्तिप्रिय व्यक्ति है और कभी भी अपने स्वयं के हाथों में कानून लेना नहीं चाहता था; अतएव वह किसी भी समय वादी को रोक नहीं सकता था। इस र प्रतिवादी ने वाद के संस्थित किया जाने के पूर्व से एक जगले के सिवाय उसको ही रोक दिया। वादी के के पास प्रतिवादी की ओर कथित जगला का निर्माण करवाने का कोई अधिकार नहीं था र वह अत्यंत अवैधानिक और अनधिकत था और ऐसे रूप में प्रतिवादी ने उसको बन्द कर दिया। तथापि एक अभी भी अस्तित्व रखता है जिसके कारण प्रतिवादी के एकान्तता के अधिकार का अतिलंघन किया है और अतिलंघन होना चाल रहता है। प्रतिवादी ने वादी से उसको बन्द कर लेने के लिए लेकिन उसने प्रतिवादी के अनरोध पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। प्रतिवादी के भवन की एवम् (antmates) छत पर बैठने में असमर्थ है जिसकी ओर कथित जगला खुलता है और कथित जगला खुलता है और उस रीती से प्रतिवादी अपनी सम्पत्ति का प्रयोग करने में उस रीति से तथा उस प्रयोजन से प्रयोग करने में असमर्थ है जिसका वह हकदार है। प्रतिकूल सभी अभिकथन भी गलत है और उनक प्रत्याख्यान किया जाता है।
5. वादपत्र का पैरा सं. 5 गलत है और उसमें कथित तथ्य सही नहीं है और उनका प्रत्याख्यान किया जाता है। वादी के पास कोई दूसरा भवन था और न ही या तो शौचालय में जाने के लिए या किसी अन्य प्रयोजनों के लिए प्रतिवादी के छत के ऊपर से सदैव गुजरता था। प्रकाश एवम वायु के बारें में, वादी प्रश्नगत छत में दूसरे दरवाजों एवम् निकासों इत्यादि के जरिए उसे प्राप्त कर रहा था। यह अभिकथन करना आत्यंतिक रूप से गलत है कि वादी प्रकाश एवम् वायु के लिए अभिकथित जंगलों एवम् दरवाजों का प्रयोग अपने पूर्वजों के समय से कर रहा था। जैसे ऊपर निवेदन किया गया कथित दरवाजे एवम् जंगलों का निर्माण रोशनदानो को सम्मिलित कर 1 1/2 महीने पहले करवाया था, अतएव अंतिम 20 वर्षों से अधिक के लिए उसका ही प्रयोग करने का प्रश्न बिल्कुल नहीं उठता है।
6. वादपत्र का पैरा सं. 6 गलत है और उसका प्रत्याख्यान किया जाता है। जहाँ तक प्रश्नगत कमरे का सम्बन्ध है, वह आत्यंतिक रूप से विधिक एवम् विधिमान्य है और इसका निर्माण वाद के संस्थित किया जाने के पूर्व से ही करवाया हुआ है। प्रतिवादी शेष बचने वाले जंगलों को बन्द करने प्रत्येक अधिकार रखता था। जहाँ तक दरवाजों, जंगलों तथा रोशनदानों का सम्बन्ध है, उन्हें वाद के संस्थित किया जाने के पूर्व तथा उस पर व्यादेश आदेश की तामील के पूर्व से पहले ही बन्द कर दिया गया था।
7. यथा कथित वादपत्र के पैरा सं 7 को स्वीकृत नहीं किया जाता है। प्रतिवादी कोई निर्माण नहीं कर रहा था। किन्तु जहाँ तक शेष रहने वाले जंगले का सम्बन्ध है, प्रतिवादी के पास उसको बन्द कर देने का प्रत्येक अधिकार है।
8. वादपत्र का पैरा सं 8 भी स्वीकृत नहीं किया जाता है। इस पैरा में किये गये अभिकथन गलत है और उनका प्रत्याख्यान किया जाता है।
9. वादपत्र का पैरा सं.9 स्वीकृत नहीं किया जाता है।
10. वादपत्र का पैरा सं 10 भी स्वीकृत नहीं किया जाता है। वादी को इस पैरा में उसके द्वारा अभिकथित तथ्यों का दृढ़ सबूत पेश करना है।
11. वादपत्र का पैरा सं0 11 नहीं स्वीकृत किया जाता है। वादी इस पैरा में दावाकृत किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने का हकदार नहीं है।
12. वादपत्र का पैरा सं0 12 स्वीकृत नहीं किया जाता है। इस पैरा में अभिकथित तथ्य स्वीकृत नहीं किये जाते है।
13. वाद पत्र के पैरा सं0 13 एवम 14 विधिक है और स्वीकृत नहीं किया जाता है।

**अतिरिक्त अभिवचन**

1. यह कि वादी के पास न तो कोई वाद हेतुक है और न ही वह इस प्रतिवादी के कोई अनुतोष प्राप्त करने का हकदार ही है।
2. यह कि वादी ने आत्यंतिक रूप से गलत अभिकथनों के साथ तथा सत्य एवम थ्यो को छिपाने के द्वारा इस वाद को दाखिल किया है।
3. यह कि यह अभिकथन करना गलत है कि वादी पिछले 50 से अधिक वर्षों से वाद में जंगलो का प्रयोग कर रहा है या यह कि उसने उसकी सुखाचार का कोई भी अधिकार अर्जित कर चुका है।
4. यह कि जंगलों, दरवाजों एवम् रोशनदारों इत्यादि का निर्माण वाद को दाखिल करने के लगभग छः सप्ताहों के अन्दर वादी द्वारा हाल में किया गया है और प्रतिकूल सभी अभिकथन गलत है और उनका प्रत्याख्यान किया जाता है।
5. यह कि यथा विरचित किया गया वाद विधितः पोषणीय नहीं है।
6. यह कि जहाँ तक दरवाजों, जगालो तथा रोशानदानों का सम्बन्ध है, सिवाया एक जंगला के उन्हें इस वाद के संस्थित किया जाने के पूर्व से ही प्रतिवादी द्वारा पहले से ही बन्द किया जा चुका था और इसलिए वाद पोषणीय नहीं है।
7. यह कि मिथ्या एवम् तुच्छ है और विशेष खर्चे के साथ खारिज कर दिया जाने योग्य है। यह तद्नुसार प्रार्थना की जाती है।

**सत्यापन**

यह सत्यापित किया गया कि पैरा 1 लगायत 12, 15, 16, 17 की अन्तर्वस्तुएं मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य है और पैरा 13, 14, 18, 19, 20 उस विधिक सलाह पर आधारित है जिसको मैं सत्य होने पर विश्वास करता हूँ।

तारीख ................... को सत्यापित किया गया।

**प्रतिवादी सं 1**

**जरिये**

**अधिवक्ता**